(ग) इन रुग्ण इकाइयों में वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल कितनी राशि का निवेश किया गया था?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (ग) जी नहीं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मार्च, 1997 तक एकत्र किए गये नवीनतम आंकड़ों के अनुसार रुग्ण लघु उद्योगों की संख्या पिछले तीन वर्षों के दौरान कम हो गयी है। रुग्ण एककों तथा उनके प्रति बकाया राशि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

अन्त तक	कुल रुग्ण उद्योग एककों की संख्या	बकाया राशि (करोड़ रुपयों में)
मार्च, 1995	2,68,815	3647.16
मार्च, 1996	2,62,376	3721.94
मार्च, 1997	2,35,032	3609.20

वर्ष 1997-98 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आंकड़े अभी एकत्र किए जाने हैं।

लघु उद्योगों के लिए कार्यशील पूंजी

492. श्री बरिन्दर सिंह:
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा गठित पी०आर० नायक समिति ने लघु उद्योग क्षेत्र में चलाये जा रहे लघु उद्योगों को कार्यशील पूंजी के रूप में 20 प्रतिशत ऋण देने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वर्ष 1996-97 के दौरान इस शीर्ष के अन्तर्गत केवल 6 प्रतिशत से 7 प्रतिशत की राशि प्रदान की गई थी;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का आकलन क्या है; और

(घ) 1998-99 के चालू वर्ष के दौरान लघु उद्योगों को कार्यशील पूंजी देने से संबंधित दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) जी हां। यह सच है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित नायक समिति ने सिफारिश की कि लघु इकाइयों को प्राक्षिप्त वार्षिक निष्पादन के 20 प्रतिशत के आधार पर कार्यशील पूंजी वित्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(ख) और (ग) यह अनुमान लगाया गया है कि 1996-97 में कार्यशील पूंजी वित्त प्राक्षिप्त वार्षिक निष्पादन का 7.8 प्रतिशत था। लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ऋण की मात्रा में वृद्धि करना सरकार का प्रयास रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार लघु उद्योगों लिए बकाया ऋण की रकम मार्च, 1996 के अन्त में 29,485 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च, 1997 के अन्त तक 31,542 करोड़ रुपये हो गयी। सार्वजनिक क्षेत्र ने बैंकों द्वारा निवल बैंक ऋण की प्रतिशतता के रूप में लघु क्षेत्र का हिस्सा मार्च, 1996 के अंत में 16.0 प्रतिशत से बढ़कर मार्च, 1997 के अन्त तक 16.6 प्रतिशत हो गई है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को निम्नलिखित सलाह दी गई है:-

(1) ग्रामीण उद्योग तथा अति लघु उद्योगों सहित जिन लघु उद्योग इकाइयों की बैंकिंग पद्धति से 2 करोड़ रु० तक की कार्यशील पूंजी आधारित कुल वित्त की अनावश्यकता है, उन्हें प्राक्षिप्त वार्षिक उत्पादन के 20 प्रतिशत के आधार पर संगणित कार्यशील पूंजी सीमा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(2) सुनिश्चित करने के लिए कि लघु उद्योग क्षेत्र को निधियों के उनके कुल आबंटन में से 40 प्रतिशत उन इकाइयों को उपलब्ध कराये जाते हैं जिनके संयंत्र तथा मशीनरी में 5 लाख रुपये तक का निवेश है, 20 प्रतिशत उन इकाइयों को उपलब्ध कराया जाता है जिनके संयंत्र मशीनरी में निवेश 5 लाख तथा 25 लाख के बीच है और शेष 40 प्रतिशत अन्य लघु उद्योग इकाइयों को उपलब्ध कराया जाते हैं।

(3) और अधिक विशेषज्ञ लघु उद्योग बैंक शाखायें चलाना।

(4) ऋण आवेदनों को निपटाने में विलम्ब से बचने के लिए किस दृष्टि से विशेषज्ञ लघु उद्योग बैंक शाखाओं के प्रबन्धकों को पर्याप्त शक्तियां प्रदान करना।

(5) ऋण आवेदनों की निर्धारित समय सीमा, 8 से 9 सप्ताह से अनअधिक अवधि के भीतर निपटाया जाना चाहिए।

दरभंगा, बिहार में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण

493. चौधरी हरमोहन सिंह यादव: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दरभंगा, बिहार में प्रधान मंत्री रोज़गार योजना के अन्तर्गत 1995 से अब तक कितना ऋण दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि जहां तक दरभंगा का प्रश्न है उक्त ऋण नाम मात्र का है क्योंकि बेरोजगार व्यक्ति मुख्यत: संबंधित बैंक अधिकारियों द्वारा कमीशन मांगे जाने के कारण ऐसी ऋण सुविधा का प्रयोग नहीं करते हैं; और

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत मिली है यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) बिहार सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1996-97 में 284 लाभ-भोगियों को बैंकों द्वारा 184.90 लाख रुपये की राशि वितरित की गई। वर्ष 1997-98 के दौरान दरभंगा, बिहार में 160 लाभ भोगियों को ऋण वितरित किया गया था जिसमें 114.72 लाख रुपये अंतर्ग्रस्त था। वर्ष 1997-98 में अनुमोदित मामलों के लिए ऋण वितरण कार्य अभी जारी है।

(ख) और (ग) प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत ऋण वितरण करना जारी है, जैसाकि ऊपर बताया गया है। जिला उद्योग केंद्र तथा राज्य स्तरीय बैंकर समिति के आयोजकों को बिहार सरकार की शिकायतों पर कार्यवाही करने को कहा गया है।

Growth projections of Cement Industry

494. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a newsitem published in the "Economic Times" dated the 30th March, 1998 captioned "Cement Industry slips up on growth projections";

(b) if so, the details thereof indicating gap between demand and supply position during the last three years, year-wise and reasons for decline in production; and

(c) the likely production of cement during 1998-99 as compared to 1997-98 indicating the targets fixed in percentage terms, year-wise?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) Yes, Sir.

(b) The production of cement against the estimated demand and targets during the last three years was as under:—

(In million tonnes)

Year	Estimated Demand	Target fixed	Actual Production
1995-96	68.00	68.00	69.55
1996-97	73.00	76.00	76.22
1997-98	79.00	81.00	83.15

The Industry has been able to produce cement in excess of the targets fixed during the last three years and achieved an annual growth rate of 9.11% during 1997-98.

(c) The production target for 1998-99 has been fixed at 90.5 million tonnes against the production of 83.15 million tonnes during 1997-98 with an annual growth rate of 8.84%.

Setting up of a Tariff Commission

495. SHRI SITARAM KESRI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have set up a Tariff Commssion to identify differential taxation rates of domestic products vis-a-vis foreign products;

(b) whether the Commission has submitted its report;

(c) if so, the salient features of the recommendations made by the Commission;

(d) whether Government have taken any decision on the report; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) The existing terms of reference of the Tariff Commission are as at Statement—(*See* below).

(b) No report has been sent by the Tariff Commission.

(c) to (e) Do not arise.

Statement

Terms of Reference of the Tariff Commission

(i) to render advice and make recommendations as an expert body, on matters referred to it by Government regarding fixation of tariff and all tariff related issues in relation to traded goods, keeping in view the interest of the industrial and production sectors, export and import trade and consumers;